

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

विषय— स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1/260831/2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 एवं पत्र संख्या-1/260832/2024, दिनांक 12.12.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 का प्रख्यापन कर दिया गया है।

2— अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों में स्थानों एवं पदों के आरक्षण निर्धारण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की सकें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,


(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।